न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 233/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2017/00060)

1. रिशालसिह पुत्र श्री अनोपसिह जाति राजपूत निवासी कड़वासर तहसील व जिला चूरू।

अपीलान्ट

बनाम

1. शिशपाल पुत्र श्री नोपाराम जाति मेधवंशी, निवासी कड़वासर तहसील व जिला चूरू।
2. ओम प्रकाश पुत्र श्री नोपाराम जाति मेधवंशी, निवासी कड़वासर तहसील व जिला चूरू।
3. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज. अतिरिक्त कलेक्टर चूरू

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1.श्री नरेन्द्रसिह राजपुरोहित – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री नरसाराम जाखड़ – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 29–12–2021**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 12.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार चूरू के आदेश दिनांक 04.06.2012 जिसके द्वारा कृषि भूमि खसरा नं. 109 व 195 का नामान्तरणकरण सं. 275 रेस्पोडेन्ट्स के नाम भूदान होल्डर दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये, के विरूद्व जिला कलक्टर चूरू में अपील पेश कर आदेश दिनांक 04.06.2012 को अपास्त करने का निवेदन किया, जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.06.2017 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर रेस्पोडेन्ट शिशपाल एवं ओमप्रकाश को उक्त राजस्थान भू दान यज्ञ बोर्ड द्वारा दी गई भूमि का बेचान नही किये जाने हेतु पाबन्द किया गया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुंत की गई है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि अपीलान्ट के कब्जे में खसरा नं. 109, 195 रोही कडवासर तहसील व जिला चूरू पर 14 बीधा 10 बिस्वा भूमि पर पुश्तेनी रूप से काबिज था। जिसका राजस्व दस्तावेजो मे सम्वत् 2001 से 2013 तक राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज पुश्तेनी तौर पर है, उसके बाद अपीलान्ट का कब्जा बदस्तुर चला आ रहा है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चूरू द्वारा नाम हटाकर के ट्रस्ट भूमि राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड के नाम से अंकित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को न तो नोटिस दिया ओर न ही किसी तरह सूचित किया गया। अपीलान्ट का मौका पर कब्जा काश्त है मोके पर आज भी काश्त करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। परन्तु राजस्व रिकार्ड मे पुश्तेनी भूमि पर नाम अंकित नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कभी भी भूमि को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को आवटन कर सकता है। उपरोक्त खसरे पर भू दान यज्ञ बोर्ड द्वारा न तो आवेदन किया गया है और न ही किसी तरह का अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के परिवार द्वारा उक्त भूमि को छोड़ा गया है। इस तरह उक्त भूमि का अपीलान्ट ही विरास्तन मालिक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.06.2017 व 04.06.2012 को निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि उक्त भूमि राजस्थान भू दान यज्ञ बोर्ड द्वारा उनके पिताजी के नाम से आंवटित की गई थी। अपीलान्ट ने अपील में भू दान यज्ञ बोर्ड को पार्टी ही नही बनाया गया है। इस कारण यह अपील चल नही सकती है। अपीलान्ट को इस अपील में कोई रिलीफ नही मिल सकती है, जो कुछ भी होगा दावा में तय होगा कि उक्त भूमि किसके पास रहेगी। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार चूरू के निर्णय दिनांक 04.06.2012 के विरूद्व अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू के संमक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। तहसीलदार चूरू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण सं. 01/2008 में अप्रार्थी/अपीलान्ट के अतिरिक्त राजस्थान भू दान यज्ञ बोर्ड जयपुर भी पक्षकार है। परन्तु अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.06.2012 कें विरूद्व जिला कलक्टर महोदय चूरू के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में राजस्थान भू दान यज्ञ बोर्ड को पक्षकार नही बनाया गया। जबकि प्रश्नगत भूमि का राजस्थान भू दान यज्ञ बोर्ड जयपुर खातेदार है। तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 उसके काश्तकार है, इस प्रकार अपीलान्ट ने उक्त प्रकरण में नामान्तकरण सं. 275 एवं तहसीलदार चूरू के निर्णय दिनांक 04.06.2012 में आवश्यक खातेदार रहे पक्षकार को पक्षकार बनाये बिना ही प्रथम अपील जिला कलक्टर चूरू के समक्ष प्रस्तुत की जो कि स्थान्तरित होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू के द्वारा दिनांक 12.06.2017 को निर्णित करते हुए अपीलान्ट की अपील को खारिज किया है। उक्त निर्णय के विरूद्व यह द्वितीय अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई है, इस अपील में भी राजस्थान भू दान यज्ञ बोर्ड जो कि प्रश्नगत भूमि का खातेदार है को पक्षकार नही बनाया गया है साथ ही नामान्तकरण सं. 275 एवं तहसीलदार चूरू के निर्णय दिनांक 04.06.2012 से किस प्रकार प्रभावित है यह प्रमाणित नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 12.06.2017 एवं तहसीलदार चूरू के निर्णय दिनांक 04.06.2012 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कानूनी आवश्यकता नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

8. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 29.12.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।